

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी- 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 9(5)(25)पन्नाधाय जीवन अमृत योजना/सान्याअवि/2019-20/7810 जयपुर दिनांक :- 14.05.24

समस्त जिला कलक्टर,  
राजस्थान।

विषय:- पन्नाधाय जीवन अमृत योजना बंद किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय सूची में चयनित बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का संचालन किया जा रहा था।

उक्त योजना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162400895 दिनांक 23.04.2024 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में बंद की जा चुकी है।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :- एफ 9(5)(25)पन्नाधाय जीवन अमृत योजना/सान्याअवि/2019-20/7815 जयपुर दिनांक :- 14.05.24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सा.न्या.अ.वि., जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

RajKaj Ref  
7048457

Document certified by GHANENDRA BHAN  
CHATURVEDI <STOICJPR@YAHOO.CO.IN>

Digitally Signed  
Ghanendra Bhan Chaturvedi  
Designation: Director  
Date :09-05-2024 11:42:19